बैंकिंग विनियमों में वैश्विक समानता और भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर इसका प्रभाव*

जी. पद्मनाभन

आज यहाँ रायपुर में बैंकर्स क्लब को संबोधित करने के लिए उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास करने वाला राज्य है और यहाँ बैंकिंग प्रणाली को राज्य की आर्थिक वृद्धि का अग्रदूत बनने में अपनी भूमिका निभानी है। कल माकनपुर में जिस पहुंच-विस्तार कार्यक्रम में मैंने भाग लिया, वह इस दिशा में बैंकों द्वारा निभायी गयी सक्रिय भूमिका के संबंध में मेरे लिए आँखें खोलने वाला था।

वैश्विक वित्तीय संकट सामने आना

2. जहाँ तक वित्तीय क्षेत्र का संबंध है हम एक कठिन लेकिन चुनौतीपूर्ण समय से होकर गुजर रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर अपने विचार बाँटूँ जो इस समय पूरी दुनिया में विनियामकों का, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक भी शामिल है, ध्यान वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और आघात सहनीय शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए आकृष्ट कर रहे हैं। हालाँकि विभिन्न मंचों में इनका बारीकी से विश्लेषण किया गया है, फिर भी हाल की गतिविधियों को उचित परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए वैश्विक वित्तीय संकट का विहंगावलोकन करना असंगत नहीं होगा।

3. वैश्विक वित्तीय संकट, हालाँकि यह कुछ समय से दस्तक दे रहा था, ने अपना गंभीर प्रभाव वर्ष 2007 के अंतिम हिस्से से दिखाना आरंभ किया और वर्ष 2008 तक यह प्रभाव बना रहा। इसके प्रभाव से दुनिया के शेयर बाजार गिरे, बड़ी वित्तीय संस्थाएँ धराशायी हुईं या उन्हें खरीद लिया गया और अनेक विकसित देशो की सरकारों को सरकारी धन का उपयोग कर अपनी वित्तीय प्रणालियों को उबारने के लिए सहायता पैकेज बनाना पड़ा। इस बात पर व्यापक रूप से सहमति बनी है कि हाल के वित्तीय संकट के पीछे अंतर्निहित अनेक कारणों मे से एक कारण विनियामक विफलता है। इस हलचल के प्रेरक तत्वों के रूप में पहचानी गयी कुछ विशिष्ट दुर्बलताओं में प्रणालीगत जोखिम की ओर ध्यान नहीं देना, ऋण-पात्रता-निर्धारण एजेंसियों पर अधिक भरोसा करना, विनियामक ढाँचे की प्रचक्रीय प्रवृत्ति, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में कमियाँ, छाया बैंकिंग संस्थाओं के निरीक्षण में ढिलाई, वित्तीय नवोन्मेष का विनियम से आगे बढ़ जाना और लेखांकन तथा प्रकटीकरण में दुर्बलताएँ शामिल हैं।

4. इसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये गये हैं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के विनियम को सुदृढ़ किया जाये और उनमें समानता लायी जाये। इस पृष्ठभूमि में, सबसे पहले मैं बैंकों के विनियम को बदलने के लिए प्रेरक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत करूँगा। दूसरा, मैं संक्षेप में उन वैश्विक प्रयासों का वर्णन करूँगा जिनका लक्ष्य एक विनियामक सुधार एजेंडा बनाना है। तीसरा, मैं उक्त एजेंडा के कार्यान्वयन के संदर्भ में विकसित होते अभिसरण के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करूँगा। चौथा, अपना भाषण समाप्त करने के पहले मैं कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करूँगा जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विशिष्ट हैं।

विनियामक सुधार -वैश्विक प्रयास

5. इस संकट के परिमाण ने इस बात की आवश्यकता का स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि वैश्विक वित्तीय विनियामक संरचना में सुधार किया जाना चाहिए। जी-20 देशों के नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय विनियामक एजेंसियों और मानक निर्धारकों को, जिनमें बैंकिंग पर्वेक्षण के संबंध में बासेल समिति (बीसीबीएस) शामिल है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), भुगतान एवं निपटान प्रणाली के लिए समिति (सीपीएसएस) और अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी), को अधिदेश दिया है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। नवंबर 2008 में आयोजित जी-20 देशों का वाशिंगटन शिखर सम्मेलन इस संबंध में पहला वैश्विक प्रयास था। बाद में, प्रासंगिक सिफारिश करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। इस विषय पर सर्वाधिक प्रभावशाली रिपोर्टें निम्नलिखित हैं :

(i) यूरोपीय संघ में वित्तीय पर्यवेक्षण के संबंध में उच्च स्तरीय दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष : जैक्विस डि लारोसिए)।

(ii) वित्तीय पर्यवेक्षण की संरचना : वैश्विक बाजार के दृष्टिकोण और चुनौतियाँ (ग्रुप ऑफ थर्टी - अध्यक्ष : पॉल वॉल्कर)।

* श्री जी,पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 13 जुलाई 2012 को बैंकर्स क्लब, रायपुर में दिया गया भाषण। श्री पी.आर.रविमोहन, निर्मल चाँद और डी कामाचि पांडियन द्वारा दी गयी सहायता के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

(iii) वित्तीय विनियमन के मौलिक सिद्धांत (जिनेवा रिपोर्ट)।

(iv) दि टर्नर रिव्यू : ए रेगुलेटरी रिस्पांस टू दि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस (फाइनैशियल सर्विस अथॉरिटी ऑफ दि यूके)।

(v) 'एनहांसिंग साउंड रेगुलेशन एंड स्ट्रेंग्देनिंग ट्रांसपरेंसी (जी-20)'; और अंतिम

(vi) वित्तीय बाजार आधारभूत संरचना के लिए सिद्धांत (सीपीएसएस और आईओएससीओ)

6. वर्तमान स्थिति पर अनुक्रियास्वरूप अंतरराष्ट्रीय विनियामक एजेंसियाँ वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीय शक्ति को सुदृढ़ करने के काम में लगी हुई हैं, विशेष रूप से वर्तमान संकट द्वारा विनियामक ढाँचे में प्रकट किये गये अंतराल को पाटने के संबंध में। विनियामक सुधारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की व्यापक रूपरेखा में पूँजी की गुणवत्ता बढ़ाने न्यूनतम चलनिधि मानक और लिवरेज अनुपात आरंभ करने, पूँजी बफर और प्रगामी प्रावधानन के रूप में प्रतिचक्रीय उपाय करने, सर्वांगी महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए एक ढाँचा विकसित करने, जिसमें सीमापार समाधान व्यवस्था भी शामिल है, विनियामक परिमिति को धन के अविनियमित मूल तक विस्तारित करने, ओटीसी डेरिवेटिव ट्रेडिंग को केंद्रीय काउंटरपार्टी के माध्यम से जोखिम मुक्त करने और वित्तीय क्षेत्र के भीतर कर्मचारी क्षतिपूर्ति को विनियमित करने के लिए नये ढाँचे की परिकल्पना की गयी है।

7. इस संबंध ने कारगर आकस्मिकता योजना बनाने और प्राधिकारियों के बीच सीमापार संवाद स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया है। सूचना के अभाव के कारण उपायों को समन्वित नहीं किया जा सकता, जो सबके लिए प्रतिकूल होगा। एफएसबी के तत्वावधान में केंद्रीय बैंक, पर्यवेक्षक और सरकारें बढ़ी हुई अनिश्चितता के समय आपस में निकट संवाद और सहयोग करते हैं। उल्लिखित समितियों की सिफारिश का मुख्य उद्देश्य भविष्य में संकट उत्पन्न होने की संभावना को कम करना और यदि संकट आ ही जाये तो बैंकिंग उद्योग को उसे बरदाश्त करने में समर्थ बनाना है। इन सिफारिशों के आधार पर किये जा रहे विनियामक सुधारों के प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं :

i. बीसीबीएस ने बासेल III ढाँचा तैयार किया है जिसका लक्ष्य पूंजी की उच्च गुणवत्ता, परिमाण, सुसंगति और बेहतर जोखिम रक्षा के लिए निर्धारण के माध्यम से बैंकों की आघात सहनीय शक्ति को बढ़ाना है।

ii. सर्वांगी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआईएफआई) के लिए सुधारों के समूह का लक्ष्य इन बड़ी और जटिल वित्तीय संस्थाओं की विफलता की संभावना को कम करना और एक तगड़ा समाधान ढाँचा स्थापित करना है ताकि यदि ये संस्थाएँ विफल हों तो उनका समापन व्यवस्थित ढंग से किया जा सके।

iii. विनियामक परिमिति संबंधी मुद्दे पर छाया बैंकिंग प्रणाली के लिए विनियामक ढाँचा स्थापित करते हुए ध्यान दिया जा रहा है।

iv. सुधारों के एक अन्य सेट का लक्ष्य है वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना जिसके लिए ओवर दि काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार के मुद्दों पर यह सुनिश्चित करते हुए ध्यान दिया जा रहा है कि इन बाजारो में किये गये लेन देनों की रिपोर्ट की जाती है, उनका केंद्रीकृत समाशोधन किया जाता हे और जहाँ संभव हो, वहाँ एक केंद्रीय काउंटरपार्टी के माध्यम से उनका निपटान किया जाता है।

v. समस्त विनियामक ढाँचे के लिए एक समष्टि विवेकपूर्ण संरचना का प्रस्ताव किया जा रहा है ताकि प्रणालीगत जोखिमों की प्रचक्रीयता और आयामों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, वित्तीय स्थिरता की खोज के लिए संगठित ढाँचा और संकट प्रबंधन, जो अंतर-एजेंसी सहयोग का संवर्धन करते हैं, को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरो पर स्थापित किया जा रहा है।

vi. जी-20 देशों के नेताओं ने इस बात पर पुनः जोर दिया कि उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक लेखांकन मानकों का एकल सेट महत्वपूर्ण होता है और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) से अनुरोध किया कि वे अपनी समानता परियोजना उन क्षेत्रों में पूर्ण करें जहाँ अंतर अभी भी बना हुआ है (क्षति, वित्तीय लिखतों के वर्गीकरण और मापन के लिए उचित मूल्य/परिशोधन लागत दृष्टिकोण)। इसी प्रकार, बीसीबीएस और आईएएसबी को संशोधित लेखांकन मानक के भीतर प्रतिचक्रीय प्रावधानन में तालमेल के लिए समन्वय रखना चाहिए।

vii. जी-20 सदस्यों ने, क्षतिपूर्ति के जोखिम प्रबंधन के साथ तालमेल के अपने संकल्प के साथ, विशेष रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं में, क्षतिपूर्ति के संबध में एफएसबी के सिद्धांतों और मानकों का समर्थन किया। मई 2011 में बीसीबीएस ने 'रेंज ऑफ मेथोडोलॉजीज फॉर रिस्क एंड परफारमेंस

एलाइनमेंट ऑफ रेमुनरेशन' के संबंध में रिपोर्ट का प्रकाशन किया और जुलाई 2011 में बीसीबीएस ने एफएसबी के परामर्श से पारिश्रमिक के लिए पिलर 3 प्रकटीकरण अपेक्षाओं का भी प्रकाशन किया।

8. इस तथ्य के बावजूद कि वैश्विक स्तर पर ये सुधार विभिन्न चरणों में हैं, व्यापक प्रयास यह किया गया है कि सभी अधिकार-क्षेत्रों में अधिक समानता लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाये ताकि विनियामक अंतरपणन के मुद्दे पर ध्यान दिया जा सके। वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार का प्रयास भुगतान एवं निपटान प्रणाली के संबंध में किया जा रहा है। जैसाकि आप सभी जानते हैं, आधारभूत संरचना का एक महत्वपूर्ण खंड, जिसने वित्तीय संकट के दौरान कारगर ढंग से कार्य किया था, वह भुगतान और निपटान प्रणाली की आधारभूत संरचना थी। भुगतान प्रणालियाँ वे माध्यम होते हैं जिनसे चलनिधि जोखिम तीव्र हो सकती है और वह बहुत जल्द ऋण एवं प्रणालीगत जोखिम में बदली जा सकती है। भुगतान प्रणालियों के इस क्षेत्र में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा तत्काल सकल निपटान प्रणालियों की शुरुआत करते हुए और निजी क्षेत्र को विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए पीवीपी लेन देनों के वास्ते सीएलएस बैंक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए भुगतान प्रणालियों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उपाय निश्चय ही प्रशंसनीय हैं।

9. अतः, वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप मौजूदा मानकों के तीन सेटों, जिन्होंने भुगतान प्रणालियों और प्रतिभूति निपटान प्रणालियों में जोखिम प्रबंधन मानकों के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया था, का पुनरावलोकन करने को समीचीन समझा गया। इस क्षेत्र में दो अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय, भुगतान एवं निपटान प्रणाली (सीपीएसएस) के संबंध में समिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने एक साथ मिल कर 'वित्तीय बाजार की आधारभूत संरचना के सिद्धांत' (पीएफएमआई) का प्रकाशन अप्रैल 2012 में किया है। पीएफएमआई सर्वांगी महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियो (सीपीएसएस, 2001); प्रतिभूति निपटान प्रणालियों (सीपीएसएस-आईओएससीओ, 2001); और केंद्रीय काउंटरपार्टियों के लिए सिफारिशों (सीपीएसएस-आईओएससीओ, 2004) के प्रमुख सिद्धांतो में वर्णित अंतरराष्ट्रीय मानकों के मौजूदा तीन सेटों का स्थान लेंगे। सीपीएसएस और आईओएससीओ ने मानकों के इन तीन सेटों को सुदृढ़ किया है और उनमें सामंजस्य स्थापित किया है. जिसके लिए उन्होंने न्यूनतम अपेक्षाओं को बढ़ाया है, मानकों के विषय-क्षेत्र का विस्तार किया है ताकि इसमें अतिरिक्त जोखिम कारकों को शामिल किया जा सके और विषय-क्षेत्र का विस्तार नये प्रकार के एफएमआई, यथा, ट्रेड रिपोजटरियों तक किया है।

10. इस रिपोर्ट में उल्लिखित 24 सिद्धांतों को नौ व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है : (क) सामान्य संगठन (ख) ऋण एवं चलनिधि जोखिम प्रबंध (ग) निपटान (घ) सीएसडी और मूल्य-विनिमय निपटान प्रणालियाँ (ङ) चूक प्रबंधन (च) सामान्य व्यवसाय और परिचालन जोखिम प्रबंध (छ) पहुँच (ज) दक्षता और (झ) पारदर्शिता।

11. इसके अतिरिक्त, सीपीएसएस-आईओएससीओ ने (i) एफएमआई के सिद्धांतों के मूल्यांकन की कार्य-प्रणाली और अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को और (ख) लोक-परामर्श के लिए, 60 दिनों की अभिमत अवधि के साथ, सीपीएसएस-आईएससीओ प्रकटीकरण ढाँचा जारी किया है। लोक-परामर्श की अवधि 15 जून 2012 को समाप्त हो गयी। प्राप्त अभिमतों के आधार पर मूल्यांकन कार्यप्रणाली और प्रकटीकरण ढाँचे को अद्यतन किया जायेगा और दोनों दस्तावेजों के अंतिम संस्करण 2012 के अंत में जारी किये जायेंगे। मूल्यांकन कार्यप्रणाली और प्रकटीकरण ढाँचे के साथ पीएफएमआई इस बात का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्निहित सिद्धांत बनेंगे कि क्या किसी देश की भुगतान एवं प्रतिभूति निपटान आधारभूत संरचना अनुवर्ती है।

12. यहाँ यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि इन सिद्धांतों का प्रारूप तैयार करने वाले संचालन दल के एक सदस्य के रूप में रिज़र्व बैंक ने इस प्रयोग में योगदान किया था। सीपीएसएस और आईओएससीओ सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे नये पीएफएमआई मानकों को वर्ष 2012 के अंत तक अपनाने का प्रयास करेंगे। रिज़र्व बैंक में हम अपने बैंकिंग उद्योग के भागीदारों के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ओटीसी बाजार सुधारों के संबंध में जी-20 के देशों और वित्तीय स्थिरता बोर्ड के प्रति अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुकूल हम आईआरएस व्यापार के लिए एक केंद्रीकृत समाशोधन एवं निपटान ढाँचे को कार्यान्वित करने की दिशा में द्रुत गति से बढ़ रहे हैं। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) आईआरएस व्यापार के लिए सीसीपी के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त, फोरेक्स वायदों के लिए भी उद्योग गारंटीकृत निपटान की ओर बढ़ रहा है।

13. इसके साथ-साथ, रिज़र्व बैंक ने सीसीआईएल को भी प्राधिकृत किया है कि वह सभी फोरेक्स एवं ब्याज डेरिवेटिवों के लिए ट्रेड रिपोजिटरी के रूप में कार्य करे। यह क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप्स के लिए ट्रेड रिपोजिटरी के रूप में इसके कार्य करने के अतिरिक्त होगा।

14. मैंने जो कुछ भी कहा है वह उन असंख्य गतिविधियों की मात्र रूपरेखा है जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण एवं विनियमन, दोनों क्षेत्रों में तथा भुगतान एवं निपटान प्रणालियों में जोखिम प्रबंधन के लिए बेहतर मानकों के सामंजस्य एवं विकास के संबंध में दिखाई दे रही है।

15. वैश्विक वित्तीय संकट का सीधा प्रभाव भारतीय बैंकों /वित्तीय संस्थाओं पर कम हुआ जिसका कारण यह था कि हमारे बैंकिंग उद्योग का जटिल नवोन्मेषी उत्पादों में सीमित एक्सपोजर था और रिज़र्व बैंक द्वारा अन्य विवेकपूर्ण नीतियाँ लागू की गयी थीं। भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में विदेशी बैंकों की कम उपस्थिति ने भी देशी अर्थव्यवस्था पर सीधे प्रभाव को कम किया। विश्व में सर्वांगी महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों द्वारा अपनायी गयी विनियामक नीतियों के अधिप्लव प्रभाव से भारत अरक्षित है। अस्थिर सीमापार पूँजी प्रवाह इसका एक प्रमाण है। जिस हद तक ये सर्वांगी महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्र सहमत अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों से सामंजस्य रखते हैं और समानता लाते हैं, उस हद तक भारतीय दृष्टिकोण से सकारात्मक बहिर्मुखता हो सकती है।

16. बैंकिंग विनियम में समानता की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि जहां बैंकिंग वैश्विक होती है, वहीं बैंकिंग विनियम राष्ट्रीय होता है। अतः विनियामक अंतरपणन के मुद्दे पर ध्यान देना नीतिगत चिंता के केंद्र में होता है। अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक समानता के लिए प्रयास करते रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने व्यापक सिद्धांत जारी किये हैं और जो राष्ट्रीय विनियामक ढाँचा सूचित करेंगे, जिनकी समान समीक्षा वित्तीय स्थिरता बोर्ड और बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासेल समिति के तत्वावधान में सीमापार सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। राष्ट्रीय विनियामक नीतियाँ बनाते समय राष्ट्रीय प्राधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे कुछ पहलुओं पर नियंत्रित विवेक सम्मत उपाय का प्रबंध करेंगे।

17. जहां तक वैश्विक विनियामक सुधार एजेंडा को भारत द्वारा अपनाये जाने का संबंध है, यह उल्लेख करने की जरूरत है कि उन सिद्धांतों के आधार पर, जो अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किये गये हैं, अनेक उपाय हाल के संकट के पहले ही अमल में लाये जा चुके थे। इनमें शामिल थे, कठोर चलनिधि अपेक्षाएँ, प्रतिचक्रीय विवेकपूर्ण उपाय, टीयर I पूँजी में ऐसी अनेक मदों को मान्यता प्रदान न करना, जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हटाने की माँग की गयी है, जारी की गयी प्रतिभूतियों की वैधता अवधि में एसपीवी को प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बिक्री किये जाने से हुए लाभ का परिशोधन, वसूल हुए लाभ को आमदनी में या टीयर I पूँजी में नहीं लेना, आदि। यह बात भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए भी लागू होती है।

18. उपर्युक्त के होते हुए भी नये सिद्धांतों को अपनाने से, निस्संदेह, कुछ क्षेत्रों में चुनौतियाँ खड़ी होंगी। विश्व-स्तर पर एक यह चिंता प्रकट की जा रही है कि बैंकों द्वारा बासेल III पूँजी अपेक्षाओं को अपनाया जाना उनके आरओई को कुछ हद तक नीचे लायेगा। इसका निहितार्थ बैंकिंग क्षेत्र में निवेश के लिए होगा। तथापि, यह उम्मीद की जाती है कि बासेल III पूँजी अपेक्षाओं के कार्यान्वयन से बैंकिंग प्रणाली की आघात सहनीय शक्ति बढ़ाये जाने से निवेशक नयी यथार्थता में अपना सामंजस्य बिठा लेंगे। हालाँकि भारतीय बैंकों को उच्चतर सीआरएआर के रूप में, जिसमें कोर इक्विटी पूँजी का बड़ा घटक होता है, मजबूत शुरुआती आधार होने का निर्विवाद फायदा होता है, फिर भी आगे बढ़ कर अतिरिक्त पूँजी जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी। इस पर विजय पाने के लिए बैंकों के प्रबंधन और आरबीआई को सावधानीपूर्वक नपी-तुली योजना बनानी होगी और भारत सरकार को, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्वामी है, इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

19. तथापि, बैंकिंग या भुगतान प्रणाली विनियमो में समानता लाने के वैश्विक प्रयास को देश-विशिष्ट विलक्षणताओं के लिए स्पष्टीकरण देना होगा ताकि अनेक मामलों में पहले ही मान्य किये गये अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारकों के मार्गदर्शन को अपेक्षानुरूप अंगीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए, भारत के प्रतिचक्रीय पूँजी बाजार के आचरण के संबंध में बीसीबीएस का मार्गदर्शन कुछ समायोजन /परिवर्तनों की अपेक्षा कर सकता है क्योंकि जीडीपी की तुलना में ऋण के अनुपात का संस्तुत मैट्रिक्स भारत में ऋण वृद्धि में अंतर्निहित संरचनात्मक प्रेरकों पर संभाव्य रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार, यह आवश्यक हो सकता है कि पूँजी बाजार मार्गदर्शन में कुछ समायोजन किया जाये। इसी प्रकार, सीसीपी और ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए नये पूँजी एवं मार्जिनिंग नियम के लिए भारत में पुनः समायोजन करना अपेक्षित हो सकता है। साथ ही, ट्रेड रिपोजिटरियों और व्यापारियों के लिए लीड एन्टिटी इंडिकेटर का भारत के लिए निहितार्थ है। इन पहलुओं की जाँच रिज़र्व बैंक में की जा रही है।

छत्तीसगढ़ संबंधी विशिष्ट मुद्दे

राज्य की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग परिदृश्य

20. छत्तीसगढ़ भारत के नवोदित राज्यों में से एक है। 1 नवबर 2005 को गठित छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है। इसकी

सीमा छह राज्यों से मिलती है। मुझे यह देख कर बहुत प्रसन्नता हुई कि छत्तीसगढ़ जीडीपी वृद्धि के लिहाज से शीर्षस्थ 5 राज्यों के बीच पिछले तीन वर्षों से अपना स्थान बनाये हुए है, जिसमें राज्य की जीडीपी वृद्धि दो अंकों में बनी रही है। 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में राज्य सहकारी बैंक और राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अतिरिक्त 36 वाणिज्य बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के), 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 6 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और 12 शहरी सहकारी बैंक परिचालनरत थे। उक्त तिथि को राज्य में बैंक-शाखाओं की कुल संख्या 1912 थी।

21. यह देखना सुखद लगता है कि 27 में से 22 जिलों ने 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। शेष जिले, यथा, राजनंदगाँव, दाँतेवाला, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा वामपंथी अतिवाद (एलडब्लूई) से पीड़ित हैं और इन जिलों में प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। पिछले पाँच वर्षों में बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों में सुसंगत वृद्धि होती रही है लेकिन सीडी अनुपात 60 प्रतिशत के प्रत्याशित स्तर से नीचे बना हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि छत्तीसगढ़ उन कुछ राज्यों में से एक है जहाँ 2000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में बैंकिग सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए पहचाने गये गाँवों की संख्या 1050 थी।

छत्तीसगढ़ में अवसर

22. राज्य में खनिजों का विशाल भंडार है। यह देश के कुछ ऐसे राज्यों में से एक है जहाँ बिजली अधिशेष की स्थिति में है। लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर (991:1000) से ऊपर है। साक्षरता स्तर 71.04 प्रतिशत है (पुरुष - 81.45 प्रतिशत और महिला - 60.59 प्रतिशत) और राज्य के गठन के बाद इसने काफी उन्नति की है। पिछले कुछ वर्षों में स्थिर जीडीपी वृद्धि ने राज्य में निवेश के लिए अच्छा माहौल तैयार किया है। छत्तीसगढ़ अपने अपार प्राकृतिक सौंदर्य के कारण देश का सर्वोत्तम पर्यटन स्थल बन सकता है।

चुनौतियाँ

23. राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर टिकी है लेकिन कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो पर्याप्त सिंचाई सुविधा के अभाव में एक फसली है। अधिक से अधिक भूमि को बहु फसली बनाने के लिए लघु सिंचाई योजनाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। सभी पात्र किसानों को केसीसी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है और हम इस लक्ष्य से काफी दूर हैं। वैसे मामलों में, जहाँ उचित भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं है या 'बटाईदारों /मौखिक पट्टेदारों' से संबंधित मामलों में संयुक्त दायित्व दल (जेएलजी) का गठन किया जाना आवश्यक है ताकि इन किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा सके। मशीन से खेती करना समय की पुकार है क्योंकि बिना आधुनिक तकनीक और औजारों के उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती। जहाँ तक कृषि मीयादी ऋण (एटीएल) का संबंध है, छत्तीसगढ़ कम कार्यनिष्पादन करने वाला राज्य रहा है। बैंकों को अधिक क्षेत्र-विशिष्ट उत्पाद लाने की आवश्यकता है ताकि एटीएल का उठाव बढ़े और क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समझाया जाये कि फसल ऋण के अलावा भी कृषि ऋण की गुंजाइश है।

24. जहाँ तक रोजगार का संबध है, कृषि के अतिरिक्त एमएसएमई दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में एमएसएमई के संबंध में गठित अधिकारप्राप्त समिति ने काफी अच्छा काम किया है और राज्य में इस क्षेत्र में ऋण में स्थिर गति से वृद्धि देखी गयी है। प्रधानमंत्री द्वारा गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की सिफारिशों के बाद सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इनकी उपस्थिति तो राज्य में है लेकिन ये उद्योग बहुत सीमित हैं और इन उद्योंगों में रोजगार की विशाल संभावनाओं को देखते हुए एमएसई की वृद्धि में बैंकों और सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रखंड में कार्यशालाएँ, बैठकें और सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए जिनमें विभिन्न प्रकार की सरकार प्रायोजित योजनाओं, बैंकों की योजनाओं और संपार्श्विक-मुक्त ऋण के बारे में बताया जाये।

25. शिक्षा-ऋण सभी पात्र छात्रों को दिया जाना चाहिए। हाल ही में एक खबर छपी थी कि एलडब्लूई क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के एक सौ से अधिक छात्रों का चयन इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए किया गया। यह आगे बढ़ता बड़ा कदम है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह प्रक्रिया चलती रहती है वित्तीय क्षेत्र को सभी संभव सहायता देनी चाहिए।

26. पिछले कुछ वर्षों से हम सब के लिए वित्तीय समावेशन प्रमुख कार्यनिष्पादन क्षेत्र रहा है। छत्तीसगढ़ ने इस मोर्चे पर अच्छी प्रगति की है क्योंकि 27 में से 22 जिलों ने 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उम्मीद है कि शेष जिले भी शीघ्र ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बैंकों और सरकारी ऐजेंसियों की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने 2000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में बैंकिंग सेवा प्रदान करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। यह तो केवल शुरुआत है, हमें तो अभी मीलों दूर जाना है और आत्म-तुष्टि के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बैंक खाता खोला जाना और बिजनेस कारेसपांडेंट के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान

करना आरंभिक कदम है, हमें निश्चय करना है कि लोगों में बैंकिंग की आदत पनपे। उनकी ऋण, धन-प्रेषण और बीमा संबंधी आवश्यकताएँ पूरी की जायें और उनके घर तक वित्तीय उत्पादों की सुपुर्दगी की जाये। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता संपूर्ण वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बैंकों और सरकारी एजेंसियों को सभी स्तरों पर वित्तीय साक्षरता को अपनी कार्य योजना के एक भाग के रूप में शामिल करना चाहिए। रिज़र्व बैंक पहुँच-विस्तार और तत्समान कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है लेकिन ये सभी केवल रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। यह तो बैंकिंग उद्योग का कार्य है कि वह इसे आगे प्रत्येक गाँव तक ले जाये। ऐसे कार्यक्रम की एक उचित समय सारणी तैयार की जाये और बैंकों द्वारा की गयी ऐसी पहल में रिज़र्व बैंक सभी संभव सहायता देगा। वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केंद्र जिला स्तर पर स्थापित किये जा रहे है, इन एफएलसीसी के कार्य की गहरी निगरानी बैंकों के नियंत्रक प्रधानों द्वारा की जानी चाहिए और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। एफएलसीसी को केवल अपने कार्यालय में रह कर कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि वे ग्रामीण बाजारों, ग्राम सभाओं और स्कूलों में जा कर लोगों को वित्तीय उत्पाद के बारे में बतायें।

27. पिछले पाँच वर्षों की बैंकिंग सांख्यिकी को देखने से यह पता चलता है कि ऋण-जमा (सीडी) अनुपात धीरे-धीरे घट रहा है। एक ऐसे राज्य के लिए, जो आर्थिक वृद्धि की दृष्टि से शीर्ष राज्यों में से एक है, यह सुकून की बात नहीं है कि सीडी अनुपात घट रहा है। इसका कारण यह हो सकता है कि राज्य में किये जा रहे निवेशों के परिणामस्वरूप जमाराशियों में अधिक वृद्धि हुई हो। इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य में परिचालित कुछ बड़ी परियोजनाओ के लिए ऋण-सीमा अन्य राज्यों से स्वीकृत है, अतः उन्हे छतीसगढ़ के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों में शामिल नहीं किया जा सकता है। बैंकों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, सीबीएस के होने से कोई ग्राहक किसी शाखा से अपने खाते तक पहुँच सकता है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ में कीमती अग्रिमों की व्यवस्था के लिए बैकों द्वारा किया जा सकता है। राज्य में उपलब्ध बड़ी संभाव्यताओं को देखते हुए अग्रिमों में वृद्धि के लिए बैंकों के पास एक क्षेत्र-विशिष्ट कार्य योजना होनी चाहिए। राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख उद्योगों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं और अधिक संभव है कि वे यहाँ अपनी परियोजना लगायें । बैकों को अपने अग्रिमों में वृद्धि करने के लिए इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बिजनेस कारेसपांडेंट भी ऋण-वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। बैंक मनरेगा कामगारों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे सकते हैं। ऐसे लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए परिणामी ऋण वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण होगी।

समापन टिप्पणी

28. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के लिए जिम्मेवार कारणों में से एक कारण विनियामक विफलता रहा है, विश्व स्तर पर एक प्रयास यह किया जा रहा है कि विनियामक सुधार एजेंडा को अपनाया जाये और इसके द्वारा सभी अधिकार-क्षेत्रों में बैंकिंग विनियम में व्यापक समानता लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाये। भारत के लिए विनियामक समानता की संभावना का सकारात्मक निहितार्थ हो सकता है क्योंकि यह सर्वांगी महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों द्वारा अपनायी गयी विनियामक नीतियों के नकारात्मक विस्तार के प्रभान पर संभाव्य रूप से ध्यान दे सकता है। तथापि, विनियामक समानता के प्रतिमान को अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों की राष्ट्रीय अनिवार्यताओं को समायोजित करना है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, उनके आर्थिक विकास के स्तर, उनके वित्तीय बाजार की स्थिति और आधारभूत संरचना के समानता के लिए जिम्मेवार होगा। हमारे सामने उपस्थित चुनौती का समाहार करते हुए मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहता हूँ कि समय की यह माँग है कि हम वैश्विक रूप से सोचें लेकिन कार्य स्थानीय रूप से करें। इस पृष्ठभूमि में, यह महत्वपूर्ण होगा कि भारत के सभी क्षेत्रों को आर्थिक चक्र के समान स्तर पर लाया जाये और बैंकिंग क्षेत्र को इस प्रयास में उत्प्रेरक की भूमिका निभानी होगी। मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में बैंकिंग प्रणाली इस चुनौती का सामना करने में समर्थ होगी और इस राज्य को आने वाले दिनों में अधिक खुशहाल और स्पंदनशील बनायेगी।